

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2015/342

रीवा, दिनांक: 25-4-2015

अधिसूचना

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी निजी महाविद्यालय द्वारा स्वयं को निजी विश्वविद्यालय के रूप में समुन्नत करने से पूर्व अपने आपको विश्वविद्यालय की सम्बद्धता से असम्बद्ध करने का प्रार्थना पत्र विश्वविद्यालय में देकर अनिवार्य रूप से अस्म्बद्ध होना पड़ेगा। प्रार्थना पत्र का प्रारूप अधिसूचना के साथ अनुलग्नक 'अ' के रूप में संलग्न है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग रीवा।
4. प्राचार्य, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अशासकीय महाविद्यालय।
5. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।


उपकुलसचिव (विकास)

असम्बद्धता हेतु प्रार्थना पत्र

प्रति,

कुलसचिव

मैं/हम श्री आत्मज श्री

..... पद.....
महाविद्यालय..... शासी निकाय.....
..... के द्वारा अपने निजी
महाविद्यालय को एक निजी विश्वविद्यालय के रूप में समुन्नत करना चाहता हूँ।

अस्तु ऐसी परिस्थिति में मुझे आगामी 30 जून 2015 की स्थिति में 2015-16 की अस्थायी सम्बद्धता से मुक्त करते हुये असम्बद्ध करने का कष्ट करें।

सादर

आवेदक

स्थान -
दिनांक-

हस्ताक्षर
नाम -
पद नाम-
संस्था का नाम -
पता -

मोबा. नं. -